एकल नारी की आवाज

अंक : 46 , माह : सितम्बर, वर्ष : 2018, निजी प्रसार हेतु

प्रधानमंत्री जी सुणलो म्हांकी की भी मन की बात .....

म्हां एकल नारी की समस्या छैः घणी भारी.....
अब कोई तो करो समाधान, दूर करबा ने पीड़ा हमारी।

23 जून को संगठन द्वारा मनाया गया ''महिला सशक्तिकरण दिवस''

संगठन द्वारा पहली बार 1 जून के स्थान पर 23 जून, 2018 को अन्तर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर एकल महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया। संगठन सदस्यों द्वारा इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति महिला सशक्तिकरण दिवस 23 जून को मनाया गया। इस दिन सभी सदस्य अपनी-अपनी ग्राम पंचायत, ब्लाक, जिले पर संगोष्टी व रैली आयोजन कर उच्चअधिकारियों को एकल महिलाओं की समस्याओं का ज्ञापन सोंपते हैं ।

इस वर्ष संगठन की राज्य स्तर बैठक मे विचार किया गया कि 1 जून को न तो महिला दिवस होता है न ही विधवा दिवस होता है तो हम अलग से यह दिवस मना रहे हैं साथ ही अन्य राज्यों मे भी महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जायेगा तो हम ऐसे दिन मनायें जो सभी को याद रहे। सभी ने निर्णय लिया कि 23 जून को विधवा अन्तर्राष्ट्रीय दिवस होता है ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग भी एकल महिला सशक्तिकरण दिवस 23 जून को मना सकते हैं।

और सभी ने इसमे सहमति जताई। साथ ही एकल महिलाओं की समस्या समाधान व प्रधानमंत्री जी को एकल महिलाओं की समस्या से अवगत कराने हेतु सभी ब्लॉकों से 40-40 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को डालेंगे ।

पोस्ट कार्ड एकल महिलाओं द्वारा पर पेंशन, आवास, खाद्ध सुरक्षा व एकल महिलाओं की व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर लिखे गये। राजस्थान मे कुल 33 जिलों के 125 ब्लोक से 5,500 पोस्ट कार्ड महिलाओं द्वारा डाले गये। कई एकल महिलाओं को प्रधानमंत्री कार्यालय से अपने पत्र का जवाब भी मिला। अब प्रतिवर्ष महिला सशक्तिकरण दिवस 23 जून को ही मनाया जायेगा।

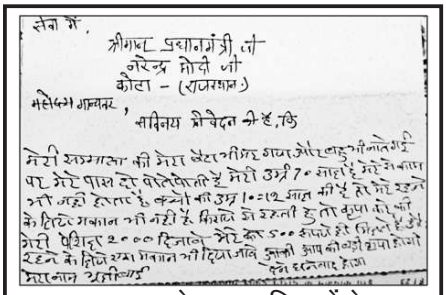

राजस्थान से एकल महिलाओं ने
प्रधानमंत्री मोदी जी को डाले 5,500 पोस्टकार्ड

दिल्ली मे पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर एकल महिलाओं ने किया प्रदर्शन

एकल महिला व वृद्वों की यही पुकार
पेंशन राशि तीन हजार

दिनांक 30 सितम्बर व 1 अक्टूबर 2018 को जन्तर- मन्तर दिल्ली में पेंशन की राशि न्यूनतम मजदूरी से आधी करने व सभी बुजुर्गो को पेंशन प्रदान करने व एकल महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांगों को लेकर राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच व एकल नारी शक्ति संगठन की 2000 एकल महिलाओं ने पेंशन परिषद नेटवर्क के बेनर तले 19 राज्यों के लगभग 15000 लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन मे भागीदारी कर केन्द्र सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की गुहार लगाई।

नई दिल्ली मे पेंशन परिषद जो कि सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर बना एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क द्वारा मजदूरों, एकल महिलाओं एंव बुजुर्गो को (जो टेक्स नही दे रहे हैं। जिन्हें अन्य किसी स्त्रोत से पेंशन प्राप्त नही हैं) सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन देने और पेंशन प्रक्रिया को आधार कार्ड और डिजिटलाईजेशन से मुक्त करने की केन्द्र सरकार से मांग की गई। वर्तमान मे केन्द्र सरकार केवल 200 रु मासिक अंशदान विधवा व वृद्वा पेंशन मे शर्तो के साथ दे रही है। और यह पेंशन अंशदान केन्द्र सरकार ने पिछले 11 सालों से नही बढ़ाया है जो कि एक शर्मनाक बात है। इस दो दिवसीय प्रदर्शन के दोरान एकल महिलाओं ने केन्द्र सरकार से मांग की कि -

अपनी मांगो को पूर जोर तरीके से उठाने के लिए पेंशन परिषद नेटवर्क द्वारा 15000 लोगों की बड़ी संख्या में 30 सितम्बर को पार्लियामेन्ट स्ट्रीट पर

– शेष पृष्ट–2 पर...

एकल महिलाओं की मांग

- विधवा,तलाकशुदा, परित्यकता, उम्र दराज एकल महिला, पति गंभीर बिमारी से ग्रसित है और महिला घर की मुखिया है तो ऐसी एकल महिलाओं को सम्मानजनक पेंशन प्रदान की जायें। और उसे प्रतिवर्ष महगांई दर से जोड़ा जाये।
- पेंशन राशि 3000 रु की जाये।

संगठन के सहयोगी भामाशाह

क्र0	नाम भामाशाह	सहयोग(चन्दा)
1.	श्रीमती पुष्पा चौहान, नीमच, मध्यप्रदेश।	5,100.00 रू
2.	श्रीमती ममता बाई, जोन्सनगंज, जिला अजमेर।	5,000.00 रू
3.	श्री गणेश लाल गांछा, बैदला, जिला उदयपुर।	2,100.00 रू
4.	श्री शमा राम, पं. भरनी, तह. पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही।	2,100.00रू
5.	तह. मालाखेड़ा, ब्लॉक उमरेण, जि. अलवर की एकल बहिनें।	2,000.00रू
6.	श्रीमती बाला देवी, गांव कुण्डरी, जिला नागौर ।	2,000.00रू
7.	श्रीमती मोहिनी बाई, कंचन नगर, जिला अजमेर।	2,000.00रू
8.	जैन जनरल स्टोर, रामपुरा, जिला कोटा।	2,000.00रू
9.	पं. जामोली तह. जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा की एकल बहिनें।	1,700.00रू
10.	पं. माताजी का खेड़ा, त. जहाजपुर, जि. भीलवाड़ा।	1600.00रू
11	श्रीमती तारा देवी, गांव पड़वा, जिला डूंगरपुर।	1,500.00रू
12.	श्री एस0डी0 बया, मोक्ष मार्ग, जिला उदयपुर ।	1,100.00रू
13	श्री मनोहर सिंह, नयागुढ़ा, तह. गोगुन्दा जिला उदयपुर।	1,100.00रू
14.	श्री सुख लाल मीणा, गाँ. माधोराजपुरा, जिला बून्दी।	1,100.00रू
15	श्री लादू लाल ग्रा.भगवानपुरा, त. जहाजपुर, जि. भीलवाड़ा।	1,100.00रू
16.	श्री नवीन कुमार ग्रा.पो. पण्डेर, तह. जहाजपुर, जि. भीलवाड़ा।	1,001.00रू
17.	श्री रामस्वरूप ग्रा.पो. पण्डेर, तह. जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।	1,000.00रू
18.	श्री महेश कुमार बैदला माताजी रोड़, जिला उदयपुर।	1,000.00रू
19.	श्री रजत कुमार, जिला डूंगरपुर।	1,000.00रू
20.	श्रीमती कंकू बाई, पं. बढ़कोचरा, तह. जवाजा, जिला अजमेर।	1,000.00रू
21.	श्रीमती कमला देवी, बड़ी बस्ती, पुष्कर, जिला अजमेर।	1,000.00रू
22.	श्रीमती पप्पु देवी, गां. आलमसर, तह. चोहटन, जि0.बाड़मेर।	1,000.00रू
23.	श्री शमा राम ग्राम मोरस, तह. पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही।	1,000.00रू
24.	पं. बीरघोल, तह. कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा की एकल बहिनें।	800.00रू
25.	गुप्तदान-ग्राम मोरस, त. पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही	700.00रू
26.	श्रीमती जमीला बानो, त. पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही	600.00रू
27.	श्रीमती रत्तु देवी ग्रा. बालासर, त. चौहटन, जिला बाड़मेर	500.00रू
28.	श्रीमती नैनी बाई, ग्रा. जालिया, त. बगड़ी, जिला पाली	500.00रू
29.	श्री प्रभुलाल, ग्रा. सबलपुरा, जिला उदयपुर।	500.00रू
30.	श्रीमती मैना देवी, गांव मुण्डवा, पं. चन्डावल, जिला पाली	500.00रू
31.	श्रीमती लहरा देवी, गां. माण्डपुरा, पं. बायतु, जिला बाड़मेर	500.00रू
32.	श्री सुशील सिंघल जिला उदयपुर।	500.00रू
33.	श्री श्याम पुरोहित, पानेरियों की मादड़ी, जिला उदयपुर	500.00रू
34	श्रीमती गोमी बाई, पं. कैलावा, त. सांकड़ा, जिला जैसलमेर	500.00रू
35.	श्री सत्यनारायण धाकड़, ग्रा. जालेड़ा, जिला कोटा	500.00रू
36.	श्रीमती उषा बाई, नयापुरा, जिला कोटा	500.00रू
37.	श्री कमलेश गुर्जर,ग्रा मोहरी, पं. बनोड़ा, जिला धोलपुर।	500.00रू
38.	श्री केसर देव, ग्रा. बउ, त. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर	500.00रू
39.	श्री राजेश शर्मा, ग्रापो. मोहनपुरा, बस्सी, जिला भीलवाड़ा	500.00रू
40.	श्री महावीर शर्मा, ग्रापो.पण्डेर त. जहाजपुर, भीलवाडा	501.00रू
41.	श्री कैलाश चन्द्र तिवाड़ी, ग्रापो.पण्डेर त. जहाजपुर, भीलवाडा	500.00रू
42.	श्री अखिलेश ताम्बी, ग्रापो.पण्डेर त. जहाजपुर, भीलवाडा	500.00रू
43.	श्री राकेश तिवाड़ी, ग्रापो.पण्डेर त. जहाजपुर, भीलवाडा	500.00रू

प्रिय साथियों, उक्त रोकड़ प्राप्त चंदे में हमारे द्वारा इस सूची में कम से कम 500.00 रू राशि वाले दानदाताओं को शामिल किया गया है। 500.00 से कम राशि का चंदा इस सूची में शामिल नहीं है एवं जिन दानदाताओं द्वारा कार्यक्रम में सहयोग हेतु सामग्री में विशेष सहयोग दिया है उनमें रूपी बाई, जिला पाली द्वारा 150 किलो गेहूं, रोशनी बाई अजमेर द्वारा 2 तेल के टिन, शारदा देवी अजमेर द्वारा 25 किलो शक्कर, चांदकंवर अजमेर द्वारा 2 किलो चाय की पत्ती, गोपी बाई गोगुन्दा से 5 किलो देशी घी, कलावती बाई अजमेर द्वारा 15 किलो चावल, यशोदा बाई ब्यावर द्वारा 2 किलो लाल मिर्च, मैना देवी जिला अजमेर द्वारा 5 दाल का सहयोग प्राप्त हुआ है।

अतः हम सब एकल नारी शक्ति संगठन की बहनों की ओर से संगठन को सहयोग प्रदान करने हेतु आपका बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद।

नोट : कृपया एकल नारी शक्ति संगठन/संस्थान हेतु आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रसीद अवश्य प्राप्त करें। रसीद प्राप्त न होने पर अखबार के पीछे लिखे फोन नम्बर अथवा पते पर संपर्क करें।

बहिनो की जुबानी ....

पंचायत स्तर बैठकों पर शुरु होने वाली बैठकों की कहानी

- हमारे गांव मे पानी की बहुत समस्या थी, पंचायत मे एकल महिलाओं की दो बार बैठक हुई उसी मे 2 माह के अन्दर एकल महिलाओं की मांग पर दो ट्यूबवेल स्वीकृत हुई। इस पंचायत मे महिलाऐं पानी की समस्या से बहुत परेशाान थी।
(मुन्नी बाई, सीकर जिला, श्रीमाधोपुर ब्लाक, बागरियावास पंचायत से)

- हमें दो साल से निशुल्क खाद् बीज नही मिल रहा था, बड़े-बड़े लोग इसका फायदा उठा रहे थे और हमारे गांव मे एकल नारी की बड़ी बैठक हुई। जिसमे सैंकडो महिला-पुरुषों ने भाग लिया और 50 एकल बहिनों को बैठक के बाद ही निशुल्क खाद् बीज उपलब्ध हुआ।
(कमला बाई - बाड़मेर जिला, चोहट्टन ब्लाक, आलनसर पंचायत से)
- हमारे गांव मे एकल नारी की बैठक हुई। पहली बैठक मे पानी की समस्या आई और सभी बहिने सरपंच से मिली ओर दूसरी बैठक में हमारे गांव में दो हेडपम्प लग गये। सोचा भी ना था कि सब कुछ इतना जल्दी हो जायेगा। कब से इस समस्या से जूझ रहे है?
(कलावती बाई- झालावाड़ जिला, मनोहरथाना ब्लाक, दागीपुरा पंचायत का चित्तोडी गांव)
- हमारी पंचायत मे एकल महिलाओं की कोई सुनवाई नही थी, जब से एकल महिलाओं की बैठक हमारी पंचायत मे हुई। सरपंच साहब भी हमें बहुत मदद कर रहे हैं और हमारे जॉब कार्ड काफी समय से नही मिल रहे थे, वो भी हमे मिल गये। जिन एकल महिलाओं के आवास नही हैं, सरपंच साहब खुद सभी के घरों की स्थिति का फोटो खीच कर लेकर गये और अब गांव मे हमारी अपनी पहचान है।
(कुन्ती पवार व चित्रा, धोलपुर जिला, बसेडी ब्लाक, बनोरा पं0 से)
- मै भगवान कंवर पिछले सात साल से पीहर मे रह रही हूँ, और जब मैं परित्यकता पेंशन की सुनकर सरपंच व सचिव साहब के पास गई तो उन्होने कहा की परित्यकता के लिए पेंशन का कोई नियम नही है, मैंने 2-3 साल से बहुत प्रयास किये, चक्कर लगाये पर काम नही हुआ। परन्तु जब हमारे गांव मे एकल नारी की बैठक हुई, ओर सरपंच साहब और सचिव को परित्यकता पेंशन का आदेश दिखाया गया तो तुरन्त पेंशन का आवेदन स्वीकृत किया।
(भगवान कंवर - टोंक जिला, देवली ब्लाक, पनवाड़ पंचायत)

लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं....

बहिनों और भी सैंकडो ऐसे अनुभव है जिन्हें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप भी अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं कि गांव व पंचायत स्तर पर संगठन की बैठक करने से क्या बदलाव आये।

संगठन मे शक्ति है

– शेष पृष्ट–1 का... दिल्ली में पेंशन की मांग...

रैली निकाली गई। और 1 अक्टूबर 2018 को पार्लियामेन्ट स्ट्रीट पर ही प्रदर्शन कर सभा का आयोजन किया गया। जिसमें राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से संवाद कर संदेश दिया गया कि सभी पार्टी के घोषणा पत्रों मे हमारी मांगे शामिल करे, उन्हें पूरी करने पर कार्य किया जाये और साथ ही बताया गया कि जो पार्टी हमारी मांगे अपने घोषणा पत्र मे शामिल नही करती हैं। हम उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे। वक्ताओं ने अपेन वक्तव्य मे बताया कि देश मे करीब 10 प्रतिशत बुजुर्ग और 8 प्रतिशत एकल महिलाऐं हैं जो जनसंख्या का बडा हिस्सा है। पार्टीयो के साथ संवाद में कांग्रेस पार्टी से श्री मधुसुदन मिस्त्री, कम्युनिस्ट पार्टी से श्री सीताराम मेचुरी ने भाग लेकर मांगो के समर्थन मे अपनी सहमति प्रदान की।

संगठन की समझाईश पर बदलाव

सहरिया समाज का महिलाओं पर लगाया प्रतिबंध हटा

विद्या पारीक

जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज की पितृसतात्मक सोच है। जिसके चलते सारे रीति रिवाज एवं प्रतिबन्ध महिलाओं के लिए लगाये जाते हैं। इसी के चलते कई क्षेत्र व समुदाय ऐसे हैं जहां पर जाति पंचायत एवं खाप पंचायतों का बहुत दबदबा है। हम अखबार व मिडिया के माध्यम से जान पाते है कि किस तरह से नियम, प्रतिबन्ध एवं रितिरिवाज व न्याय के नाम पर महिलाओं के साथ काफी अन्याय होता है। इसी प्रकार का एक नियम बारां जिले के अटरू ब्लॉक की बुआखेड़ी पंचायत में भी बना और महिलाओं ने उसके खिलाफ आवाज उठायी।

बारां जिले के अटरू ब्लॉक की बुआखेड़ी पंचायत में सहरिया समुदाय के लोग भी बहुत संख्या में रहते हैं और शराब पीकर काफी उत्पात मचाते रहते हैं और घर में महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। इसलिए महिलाओं ने शराब का मुद्दा उठाया तो जाति पंचों ने पुरूषों के शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे नाराज पुरूषों ने भी महिलाओं की खिलाफत करने में कोई कमी नहीं काटी। उन्होंने भी महिलाओं के अकेले बाहर जाने पर, मोबाईल फोन रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया और साथ ही जुर्माना भी रख दिया गया। कुछ महिनों तक यह समस्या चलती रही और महिलाऐं और उनमें भी खासतौर से एकल महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकी नियम बनाया गया था कि यदि कोई महिला बाहर जायेगी तो कम से कम तीन महिलाओं के साथ ही जायेगी। इससे एकल महिलाओं को काफी परेशानी हुई। उनका काम धन्धा बंद हो गया और लोगों ने अकेले मजदूरी पर रखना बंद कर दिया। बीमार है तो अस्पताल जाने में भी समस्या हो रही थी। जब समस्या बहुत गंभीर हो गयी तो गांव की बहनों ने संगठन कार्यकर्ता विद्या पारीक को उससे अवगत करवाया। उन्होंने इस मुद्दे को संगठन की अप्रेल 2018 की राज्य स्तरीय बैठक में उठाया। तब वहां पर निर्णय लिया गया कि समस्या का समाधान होना चाहिए। और एक टीम बनायी गई। उसी बीच जुलाई माह में समस्या अधिक बढ़ने के कारण विद्या पारीक ने सहरिया समाज के पंचों को बुलाया व संगठन की बहनों को भी बुलाया और उनसे इस समस्या के बारे में बात की और उनको कहा कि यदि आप ये प्रतिबन्ध नहीं हटायेंगे तो हम जिला कलेक्टर और आगे जयपुर तक भी जायेंगे। तब उन्होंने महिलाओं पर लगाये गये इन प्रतिबन्धों को अगस्त, 2018 में हटा दिया। परन्तु साथ ही पुरूषों पर लगाये प्रतिबंन्ध को भी हटा दिया। परन्तु संगठन के इस प्रयास से गांव की महिलाऐं और सभी एकल महिलाऐं बहुत खुश थी और सभी ने अपने काम धन्धे पर जाना शुरू कर दिया।

संगठन की पहुँच गांव की एकल नारी तक.....

- संगठन लीडर्स ने लिया पंचायत स्तरीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण।
- आम सदस्यों तक पहुँच के लिए संगठन की नयी कार्यनिति।

एकल नारी शक्ति संगठन राजस्थान मे पिछले 19 वर्षो से 33 जिलों के 115 ब्लाक मे गरीब विधवा एकल महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत् है। जिससे एकल महिलाऐं हक और अधिकार के साथ समाज मे सम्मानपूर्ण व बेहतर जीवन जी सके।

पंचायत व गांव स्तर पर ज्यादा से ज्यादा एकल महिला तक पहुँच व उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और संगठन को मजबूती मिले। इसके लिए संगठन द्वारा जून माह से पंचायत व गांव स्तर पर कार्य करने की कार्यनिति तय की गई।

संगठन के काम को मजबूती देने के लिए संगठन की एकल महिला लीडर्स के लिए 8 पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किये गये। जिसमे (करौली जिले के हिण्डोन ब्लाक की खुर्दबाजना पंचायत, दौसा के लालसोट ब्लाक की मण्डावरी पंचायत, डूंगरपुर के आसपुर ब्लाक की मोवाई पं, सीकर के पीपराली ब्लाक की रानोली पंचायत, अजमेर के जवाजा ब्लाक की बडकोचरा पंचायत, उदयपुर की गोगुन्दा पंचायत, बून्दी जिले के के0पाटन ब्लाक की माधोराजपुरा पंचायत व जोधपुर जिले की ओसिया ब्लाक की बेदू पंचायत) 63 संगठन कार्यकर्ताओं को राजस्थान की आठ जिलों की आठ पंचायत मे पंचायत व गांव स्तर पर कार्य करने हेतू प्रशिक्षण दिया गया।

पंचायत स्तरीय बैठकों मे 455 एकल महिला, अन्य महिला, पुरुष व जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि पंचायत स्तर पर एकल महिलाओं की लीडरशीप आगे लाना, गांव व पंचायत स्तर पर संगठन का प्रचार प्रसार, अधिक से अधिक एकल महिलाओं को संगठित करना, एकल महिलाओं की समस्याओ का समाधान, पंचायत मे एकल महिलाओं की स्थिति जानना व दस्तावेज संधारण करना सीखना था। प्रशिक्षण के दौरान संगठन लीडर्स ने पंचायत स्तर पर एकल महिलाओं की पंचायत स्तरीय बैठक आयोजन करना, ब्लाक कमेटी का चुनाव करना, जनप्रतिनिधियों व सरकारी प्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रखना, सर्वे करना व एजेण्डा वाईज बैठक का संचालन करना सीखा। प्रशिक्षण के दौरान सभी संभागियों में जोश नज़र आया।

सुख–दुःख की धूप छांव से आगे निकल कर देख
कोई कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा तेरा,
संगठन की बहनों का हाथ तो पकड़ कर देख

हम एकल बहनों की मांगे है :-

- उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के लिए एकल महिला स्वयं एवं उनके बच्चों को बाहरवीं कक्षा के उपरान्त उच्च शिक्षा में मदद हेतु छात्रवृत्ति/फैलोशिप का प्रावधान किया जाये, जैसा प्रावधान अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए रखा गया है।
- सभी गरीब एकल महिलाओं को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत् प्रति व्यक्ति 15 किलो अनाज दिया जाये व पॉश मशीन मे अंगूठा नही आने के कारण अनाज के लिए चक्कर लगाने पडते है तो यह पॉश मशीन का नियम हटना चाहिए।
- नरेगा मे 100 दिन के स्थान पर 200 दिन कार्य दिवस किया जाये व साथ ही 300 रु दैनिक मजदूरी के हिसाब से मजदूरी दी जाये।
- शहरी क्षेत्र मे भी रोजगार गारन्टी कानून लागू किया जाना चाहिए।
- सभी गरीब एकल महिलाओं को प्राथमिकता से मुख्यमंत्री आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिये जायें।
- मुख्यमंत्री एकल महिला सम्मान पेंशन योजना में वृद्धमहिलाओं को 3000 रु पेंशन व जवान एकल महिलाओं को 2000 रु सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाये।
- राजस्थान मे शराब बन्दी की जानी चाहिए क्योंकि महिलाओं पर हिंसा होने का यह सबसे बड़ा कारण है।
- महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत् सभी जिलों मे अलग से संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये जाये। जिससे पिडित महिलाओं को राहत मिल सके।

पीड़ित प्रतिकर स्कीम – 2011

''अपराध के शिकार पिड़ितों व उनके आश्रितों को सहायता प्रदान कराये जाने की योंजना है, जिसका संचालन राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है''।

आवेदन कौन कर सकता है ?

- अपराध के परिणामस्वरुप हानि या क्षति से ग्रस्त व्यक्ति या उसका आश्रित आवेदन कर सकता है।

आवेदन कहॉ करे ?

- जिस न्यायालय मे आपका मुकदमा चल रहा है उससे सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मे पिड़ित/आश्रित पिड़ित प्रतिकर स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है।

- **स्कीम की राशि किसे मिलेगी ?**

ऐसे व्यक्ति जिनके उपर किये गये अपराध से उनके परिवार/आश्रितों को हानि पहुॅची है, जिससे वित्तिय सहायता के बिना उनका गुजारा करना कठिन हो गया हो। अन्तरिम सहायता का भी प्रावधान किया गया है।

योजना के अर्न्तगत अलग-अलग हानि व क्षति के लिए प्रतिकर प्रावधानों की सूची

क0 सं0	हानि व क्षति का विवरण	प्रतिकर की अधिकतम सीमा
1.	जीवन हानि (उपार्जन करने वाला/कमाने वालासदस्य)	5,00,000.00 रू
2.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरुप 80 प्रतिशत या अधिक विकलांगता हो गई हो।	5,00,000.00 रू
3.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरुप 40 प्रतिशत या 80 प्रतिशत से कम विकलांगता हो गई है।	80,000.00 रू
4.	अवयस्क के साथ बलात्कार	5,00,000.00 रू
5.	बलात्कार होने पर	5,00,000.00 रू
6.	पुर्नवास के लिए	1,00,000.00 रू
7.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिससे परिणामस्वरुप 40 प्रतिशत विकलांगता हो गई।	25,000.00 रू
8.	मानव दुर्व्यवहार जैसे मामलो मे जिसमे महिलाओं व बाल पिड़ितो को गंभीर मानसिक पीड़ा कारित करने वाली क्षति व हानि हुई हो।	25,000.00 रू
9.	बाल पिड़ित को साधारण हानि या क्षति	20,000.00 रू
10.	अम्ल (एसिड) हमले का पिड़ित	3,00,000.00 रू

सम्पर्क कहॉ करे ?

तहसील स्तर पर → विधिक सहायता समिति।

जिला स्तर पर → जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

राज्य स्तर पर → राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण

पता -

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ भवन, जयपुर

हेल्पलाईन नम्बर - 0141-2385877

आवयक हेल्पलाईन नम्बर

1.	मुख्यमंत्री हेल्पलाईन	1076
2.	किसान कॉल सेन्टर	1551
3.	महिला हेल्प लाईन	1091
4.	रेल्वे पूछताछ	139
5.	यातायात पुलिस	103
6.	पुलिस सेवा	100
7.	अग्नि सेवा	101

-: नारा :-

सौ में सत्तर काम हमारे,
लिखो बही में नाम हमारे

हम अपना अधिकार मांगते,
नहीं किसी से भीख मांगते

आओं बहिनों जाने...

कुछ विशेष महिला के अधिकारों के बारे में..

- महिला को विवाह के अवसर पर प्राप्त जेवर व अन्य वस्तुएँ महिला की ही सम्पत्ति है।
- महिला अपने पति की सम्पत्ति पर अधिकार रखती है।
- महिला को पुरुष के समान मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार है।
- महिला अपने नाम से सम्पत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है व रजिस्ट्री करवा सकती है।
- यदि किसी महिला को किसी जुर्म मे गिरफ्तार किया है तो उसके शरीर को महिला पुलिस ही छू सकती है व तलाशी ले सकती है। पुरुष पुलिसकर्मी महिला को नही छू सकता।
- बयान के लिए पुलिस किसी महिला को थाने बुलाने के लिए विवश नही कर सकती।
- महिला का परीक्षण महिला डाक्टर के द्वारा किये जाने का प्रावधान है।
- स्वंय भरण-पोषण करने मे असमर्थ महिला जो कि माता, पुत्री या पत्नि हो उन्हें अपने पिता, पुत्र व पति से निर्वाह भत्ता प्राप्त कर सकती है।
- दहेज मांगना, लेना व देना कानूनन अपराध है।
- महिला की ईच्छा के विरुद्व गर्भपात करवाना कानूनन अपराध है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

यदि आप भूमिहीन हैं और आपके पास आवास नही तो जाने इसके बारें मे.....

- **नोट :** यदि आप भूमिहीन है और पंचायत मे आपको कहा जाता है कि आपके पास मकान बनाने के लिए जमीन नही है तो पंचायत की जिम्मेदारी है कि वो आपको मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराये। आप सरकार द्वारा जारी इस आदेश के आधार पर पंचायत मे आवास के लिए भूमि के लिए मांग कर सकते हैं
- **आदेश के अनुसार -** प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत पंचायत मे निवास कर रहे भूमिहीन लोगो के लिए ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग द्वारा (ग्रामीण विकास, अनुभाग-8) दिनांक 10.10.2016 को जारी आदेश क्रंमाक : (ग्रावि/ग्रुप -8/2016) के अनुसार निर्देश नम्बर (य) मे लिखा हुआ है कि - प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के पात्रता रखने वाले भूमिहीन लाभार्थियो को भूमि उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जावे।

अन्याय के खिलाफ खड़े होना मैंने संगठन से सीखा-सुनिता

''सभी बहनों से कहना है, एका करके रहना है''

मेरा नाम सुनिता है मेरा पीहर गांव-नोखा जिला-बीकानेर मे है और सुसराल नागौर मे है, मैं अभी पीहर मे ही रह रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था और मेरी मम्मी के 6 साल बाद पैदा हुई तो सभी ज्यादा लाड़ करते थे। जब मैं ननिहाल मे रहती थी तो एक दिन मेरे पापा मुझे धौखे से कही फेरी दिखाने का कहकर अन्य जगह ले गये। उसी दोरान मेरी ऑखों में बीमारी हो हो गई और मुझे कम दिखाई देने लगा।

नानी ने मेरा इलाज करवाया जब मैं ठीक हुई। कक्षा 6 पढने के बाद मेरी सगाई हो गई और उसके 3 साल बाद मेरी शादी हो गई। मेरा पति हलवाई का काम करता था और नशे का आदि था। साथ ही जुआ भी खेलता था।

मुझसे आए दिन लड़ाई झगड़ा करता था जिससे मैं परेशान रहती थी। मेरे पिताजी इस शादी के लिये राजी नहीं थे। लेकिन मेरे मामाजी व मम्मी ने लड़के को पसन्द किया था। मेरा पति मुझसे उम्र मे भी 6 साल बडा था, उसका रंग भी काला था, पांव मे भी फेक्चर था, मैंने सोचा कभी तो ठीक होगा। लेकिन एक दिन मेरी देवरानी ने चाय मे कुछ मिला कर कुछ खिला दिया तो मेरे पति की दिमागी हालत खराब हो गयी।

वो मेरे से बहुत झगडा करते। एक दिन अपनी समस्या का समाधान करने किसी देवरे में जा रहे थे तो उन्हें किसी मोटर साइकिल वाले ने टक्कर मार दी जिससे पास से गुजर रहा ट्रक उनके उपर से निकल गया और मेरे पति की उसी वक्त उनकी मौत हो गई। उस समय मे गर्भवती थी 3 माह बाद बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद सुसराल में सभी मुझे परेशान करने लग गये। सभी के साथ रहना मुश्किल हो गया।

मुझे सरकार से भी 50 हजार रूपये मिले थे, वह राशि भी मेरे जेठ ने ले ली। अन्त मे मैं परेशान होकर पीअर आ गई। गुजर-बसर करने के लिए मैं दूसरों के घरों मे खाना बनाने लगी। एक दिन मुझे संगठन की जानकारी मिली तो मैं तुरन्त एकल नारी शक्ति संगठन मे जुड़ गई। यहां मेरी समझ धीरे-धीरे बढ़ने लगी और मेरे मे इतनी मजबूती आई कि मैं दुसरों कि समस्याओं का भी समाधान करवाती हूँ। एक दिन पड़ोसी व्यक्ति मेरे पास मदद मांगनें के लिये आया। उसने कहा कि मुझे एक घण्टे मे 4,0000 हजार रू चाहिये मुझे गाडी की किश्त भरनी है, मैं यह राशि 5 दिन मे लोटा कर दुंगा । मैंने 40 हजार दे दिये।

5 दिन बाद पेसे मांगे तो बोला कल दुंगा ऐसे करते करते 5 माह बीत गये उसने पैसे नही लोटाये। एक दिन मे सुबह 8 बजे अकेली उसके घर जा रही थी तो वह रास्ते मे अपनी गाडी मे टेन्ट का सामान लेकर जा रहा था, मैंने उसको आवाज लगायी। जैसे उसने मुझे देखा तो वह गाडी को दोड़ाने लग गया तो मैंने दोड़कर उसकी गाडी के पास पहुंच कर गाडी को रोक दिया। मैं गाड़ी में बैठ गई ओर गाडी की चाबी झपट कर छीन ली। तब वह मुझसे लड़ाई-झगड़ा करने लग गया और मुझे गन्दी गाली देने लगा। फिर मैंने उससे अपने पैसों के लिए कहा और आस पास के लोगों को इकट्टा करने लगी।

इस पर वह गाड़ी को मेरे घर पर ले आया और मेरी मां को गाड़ी के पास लेकर आया ओर बोला आधे पेसे ले लो ओर मुझे गाडी से नीचे उतरने के लिए कहा। मैंने कहा कि मुझे तो पुरे पेसे चाहिये । इस पर वो गाड़ी वहीं छोडकर भाग गया मैं अपने पड़ोसियों की सहायता से गाड़ी को थाने लेकर गई। इसी दोरान उसके पास फोन आया कि आप मेरी गाडी थाने मत लेकर जाना। मैंने उससे कहा कि मैं थाने मे ही हूँ। कुछ देर बाद वह पड़ोसीयों के साथ थाने मे आ गया। वहां भी काफी कहासुनी करने लगा ओर कह रहा था कि रिपोर्ट नही लिखवाना। थाने वालों के समझाने पर उसने मुझे सारी राशि लोटा दी ओर मैंने गाड़ी की चाबी उसे दे दी। वह मुंह लटका कर वहां से चला गया।

सुनिता अब संगठन को धन्यवाद देती हे ओर कहती हे मेरे अन्दर संगठन की शक्ति हे कि मे स्वयं इतनी बडी समस्या का समाधान कर पायी ।

–: गीत :–

बहनों करो सवाल

बहनों करो सवाल,
हमें अब चुप नहीं रहना है
चुप नहीं रहना, अब नहीं सहना
चलो मिलकर चाल,
हमें अब चुप नहीं रहना है
बहनें अब तक बहुत सही है
बेहद गुमशुम चुप ही रही है
करो बुलन्द आवाज,
हमें चुप नहीं रहना है।
चुप नहीं रहना .....
चारों ओर बस पहरा ही पहरा
देखो इसमें चाल है गहरा
तोड़ो हटाओ जाल,
हमें चुप नहीं रहना है
चुप नहीं रहना ....
बहनां करो सवाल....
काम हमारी दुनियादारी
हममें है वो हिम्मत सारी
हासिल करेंगे मुकाम,
हमें अब चुप नहीं रहना है

**उसूलों पर आंच आये तो टकराना जरुरी है,
और अगर जिन्दा हो तो जिन्दा नज़र आना जरुरी है।**

प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड पर अपनी समस्याऐं लिखते हुए बहिनें

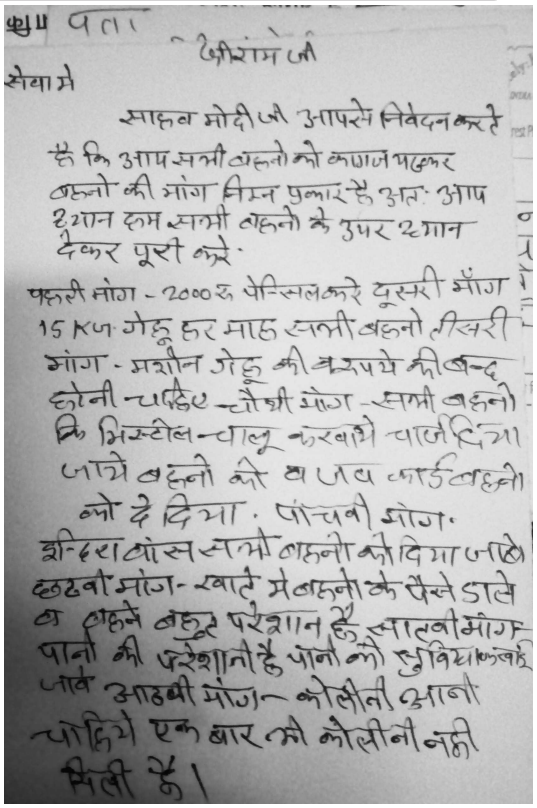

संगठन की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित

ज़र्रे से रहगुजर के चमक छोड़ जायेंगे,
पहचान अपने संगठन की दूर तलक छोड़ जायेंगे,
खामोशियों की मौत गवारा नहीं हमें,
संगठन से जुड़े हैं तो अपना एक इतिहास छोड़ जायेंगे।

कमजोर नही है
एकल नारी,
संघर्ष हमारा
रहेगा जारी।

जोश पूर्ण नारों व संगठन के गीतों के साथ दिनांक 28 से 29 जुलाई 2018 को आस्था प्रशिक्षण केन्द्र, बेदला में एकल नारी शक्ति संगठन की दो दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें 30 जिलों के 60 राज्य स्तरीय कमेटी सदस्यों ने भाग लिया।

राज्य स्तरीय कमेटी सदस्य बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाती हैं इस बैठक के मुख्य उद्देश्य संगठन के कार्यो का प्रस्तुतिकरण, संगठन के सदस्य, बिल्ला वितरण, विशेष केस व समस्याऐं सुनना व समाधान, संगठन सदस्यों को सरकारी योजनाओं का लाभ, आगामी कार्य आयोजना बनाना, नये नीति, नियम बनाना व लागू करना अन्य जन आन्दोलनों के साथ संपर्क व नेटवर्किंग, नयी सरकारी योजनाओं की जानकारी व आगामी एडवोकेसी के बिन्दू निकालना व एकल महिलाओं की मांगो व मुद्दों पर एडवोकेसी करने की आयोजना बनाना, जिलेवार रिपोर्टिंग है।

बैठक मे संगठन के चार माह के कार्यो का प्रस्तुतिकरण किया। जिसमें निकल कर आया कि चार माह में संगठन के 1484 नये सदस्य बने और अब कुल सदस्य 61,895 हो चुके हैं।

बैठक मे पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों के अनुभवों को सुना सदस्यों द्वारा बताया गया कि पंचायत की मीटिंगे काफी अच्छी चल रही हैं। महिलाओं की संख्या भी ज्यादा आ रही हैं,सदस्य भी बन रहे हैं, पंचायत मे काम करने वाले सरपंच, पटवारी, ग्राम सचिव व आंगनवाडी कार्यकर्ता भी हमारे काम में सहयोग कर रहे हैं। महिलाओं की समस्याओं का समाधान भी पंचायत से हो रहा है। अब तक तो पंचायत से कम महिलायें ही भाग लेती थी। जहां प्रशिक्षण हुये उनके फोटो दिखाये गये।

पंचायत से राज्य स्तर तक चुनाव प्रकिया को मजबूत किये जाने पर चर्चा की गई कि जब तक हम पंचायत मे कमेटी सदस्यो का चुनाव सही नही करेंगे तब तक राज्य स्तर पर सही लोग नही आयेंगे । क्योंकि अब हम जिला की बैठकें भी नही करते हैं।पूरे साल भर मे जो संगठन दवारा कार्य हुये वे सभी को साझा किये ।

पेंशन परिषद बैठक के बारे में सदस्यों को जानकारी दी गई व आगामी बैठक में कितने लोग भाग लेंगे इसकी आयोजना बनायी गई। जिसमे 1000 एकल महिलाओं की संख्या निकलकर आई। चुनाव पूर्व संगठन द्वारा समस्याओ का मांग पत्र तैयार किया गया। जिसमें मुख्य मांगे निकलकर आयी-पेंशन राशि 500 से बढाकर 3000रू की जाये, खाद्ध सुरक्षा योजना के तहत 5 किलो अनाज की जगह 15 किलो किया जाये, सभी एकल महिलाओं को आवास की सुविधा मिले। साथ ही बैठक मे 15-16 नवम्बर 2018 को अजमेर मे आयोजित किये जाने वाले बहिनादूज कार्यकम की आयोजना तैयार की गई। किसान महिला बैठक अप्रेल मे आयोजित हुई थी जिसके अनुभव साझा किये व किसान महिला सम्मेलन में 7 सम्भाग के 14 जिलों की 14 ब्लाक से 140 एकल महिलायें भाग लेने हेतु तय किया कि अभी चुनाव है, इसलिये हम फरवरी मे सम्मेलन जयपुर में करेगे। राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच की सलाहकार समिति के 7 सदस्यों का चयन किया गया। इन 4 माह मे जो सदस्य अन्य कार्यकमों में भाग लिया उन संभागियो द्वारा जमीन के अधिकार पर जयपुर मिटिंग व हुँमन लो नेटवर्क मीटिंग -गोवा, युवा चिन्तन शिविर -भीम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अगली राज्य स्तरीय सदस्य बैठक दिनांक 8-9 दिसम्बर, 2018 को उदयपुर में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

आपकी जानकारी के लिए

प्रिय बहनों, आपकी जानकारी के लिए यह सूचना दी जाती है कि एकल नारी शक्ति संगठन के बिल्ला जो पहले 10 रूपये का आप लेते थे उसकी राशि 1 अप्रेल, 2018 से 20 रूपये की गई है एवं आजीवन सदस्य रसीद शुल्क 20 रूपये ही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

आपके सुझाव आमंत्रित हैं

एकल नारी की आवाज आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित हर सामग्री पर आप अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। भविष्य में एकल नारी की आवाज को आप किस रूप में देखना चाहते हैं तथा किन मुद्दों व विषयों पर अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है, इन सभी पहलूओं पर हमारा ध्यान दिला सकते हैं। एकल नारी की आवाज के लिए आपकी ओर से भेजे जाने वाले आपके सुझाव आमंत्रित हैं।

एकल नारी शक्ति संगठन के सदस्यों की संख्या

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	सदस्य
1.	अजमेर	8	5090
2.	राजसमंद	4	2291
3.	सिरोही	1	1082
4.	डूंगरपुर	5	1966
5.	बांसवाड़ा	5	1144
6.	उदयपुर	8	4540
7.	भीलवाड़ा	6	3554
8.	जोधपुर	5	1528
9.	नागौर	3	2697
10.	जालोर	2	1102
11.	पाली	4	2314
12.	चित्तौड़गढ़	3	1133
13.	टोंक	5	1722
14.	बारां	4	3437
15.	बूंदी	3	1775
16.	अलवर	3	1433
17.	सवाईमाधोपुर	3	1984
18.	जयपुर	2	1824
19.	कोटा	5	3328
20.	दौसा	4	1740
21.	बाड़मेर	4	1317
22.	सीकर	3	1562
23.	चुरू	2	2380
24.	झालावाड़	4	3856
25.	जैसलमेर	1	1512
26.	करौली	3	1093
27.	प्रतापगढ़	4	1161
28.	भरतपुर	3	1108
29.	बीकानेर	1	391
30	हनुमानगढ़	2	526
31	झुंझनू	2	463
32	धोलपुर	2	504
33.	गंगानगर	1	338
	कुल योग	115	61,895

यदि कोई एकल महिला, एकल नारी शक्ति संगठन के बारे में कोई जानकारी चाहती है या सदस्य बनना चाहती है, अथवा अपने क्षेत्र को संगठन से जोड़ना चाहती है तो वह निम्न पते पर सम्पर्क करें -

एकल नारी शक्ति संगठन

- : पता : -

3-पीपल्दा हाऊस, सिविल लाईन, कोटा -324008
फोन : 0744-2450726

39, खारोल कोलोनी, उदयपुर-313004 (राज.)
फोन :0294-2451348 फैक्स :0294-2451391

ईमेल : ensskota@gmail.com
ईमेल : enssrajasthan@gmail.com
Website: www.strongwomenalone.org

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती .....

पता .....

.....

..... पिन कोड .....